जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक :– एफ (जविप्रा)/टीसीबी/2007–08/डी– 297–322 दिनांक : 26/5/07

दिनांक 25.05.2007 को जेडीसी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित 54 वी टी.सी.बी बैठक की कार्यवाही का विवरण

(क) पुराने प्रकरण

1 दुर्घटना थानों एवं यातायात पुलिस द्वारा सीज किये गये वाहनों के लिए भू आवंटन :–

इस निर्णय की अनुपालना में दो भूखण्ड क्रमशः जगतपुरा एवं हरमाडा में दुर्घटना थाने स्थापित करने एवं जब्तशुदा वाहनों को रखने के लिए आवंटित कर दिये गये है। अतः इस प्रकरण को विचाराधीन प्रकरणों की सूची से हटाये जाने का निर्णय लिया गया।

2 प्राइवेट बस स्टेण्डो को शहर के बाहर स्थानान्तरित करना :–

इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा सभी इकाईयों के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने विचार प्रकट किये। पुलिस अधीक्षक यातायात एवं आरटीओं द्वारा पूर्व में चिन्हित किये गये स्थलों पर बस स्टेण्ड स्थानान्तरित किये जाने की संभावना नहीं होने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित इकाईयां अपने–अपने स्तर पर इस विषय की पुनः समीक्षा करेगी तथा इस बारे में अपनी ओर से इस समस्या के बारे में एक विस्तृत नोट संभावित स्थलों को चिन्हित कर भिजवायेंगीं, जिन पर विचार किया जाकर अगली टीसीबी बैठक में चर्चा की जायेगी। जेडीए भी अपने स्तर पर संभावित स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास करेगा।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : यातायात पुलिस, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रोडवेज, जेडीए

3 जवाहर कला केन्द्र के सामने रोड कट बंद करना :–

इस कट को बंद करने के लिए अभियांत्रिकी एवं वित्तीय दृष्टि से जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुयी, वे अव्यावहारिक होने की वजह से यह निर्णय हुआ कि पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा इस कट को बंद किये जाने के जो प्रयास किये जा रहे है, उनको अनुमोदित किया जाये क्योंकि उन द्वारा किये जा रहे प्रयास की वजह से इस कट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को मात्र 1/2 किलोमीटर अधिक चलना पडता है, जो सडक सुरक्षा एवं अन्य विकल्पों की तुलना में ज्यादा असुविधाजनक नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक यातायात की कार्य योजना को लागू करने के अनुमोदन के साथ इस विषय को ड्रोप किया गया।

(ख) ढांचागत विकास कार्यक्रम :–

(1) बीआरटीएस परियोजनाः इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रथम चरण के अन्तर्गत Government Hostel से हवाई अड्डे के मार्ग पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अतः यह निर्णय हुआ कि इस रूट पर प्रस्तावित बस शेल्टर्स के संबंध में समीक्षा की जाकर प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत किया जाये, जिससे कि इस संबंध में क्रियान्वयन स्थितियां सुगम बन सके।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : संबंधित कमेटी

(2) एटीसीएस परियोजना : इस परियोजना के अंतर्गत एमआई रोड कॉरिडोर पर एटीसीएस को स्थापित कर दिया गया है, परन्तु सीडेक द्वारा कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत बिलों का भुगतान नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो ट्रेफिक पाइन्टस छूट गये है, उन पर भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है एवं इस सिस्टम के उद्घाटन में भी विलम्ब हो रहा है। जेडीसी महोदय ने निर्देश दिये कि लम्बित बिलों का तत्काल भुगतान किया जाये एवं इस सिस्टम का उद्घाटन शीघ्र हो सके, इसके लिए कार्यवाही शुरू की जाये तथा जो ट्रेफिक पाइन्टस इस सिस्टम से अछूते रह गये है, उन्हें भी जोडने की कार्यवाही शुरू की जाये।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : CE-2 & ZE- Electrical

(3) यातायात सर्किल एवं रोटरीज पर मूर्ति स्थापना : इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुयी तथा सभी अधिकारी इस बात से सहमत थे कि सडक के बीच में मूर्ति स्थापित होने से भविष्य की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने में अनेक अवरोधों का सामना करना पडता है। अतः जरूरी है कि मूर्तियां सडक के मध्य में स्थापित न की जाकर सडक के एक तरफ स्थापित की जाये। यद्यपि इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर कमेटियां बनी हुयी है, फिर भी यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को इस समस्या से अवगत करवाया जाये।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : सचिव जेडीए/सलाहकार टीसीबी

(4) इन्द्रप्रस्थ मालवीय नगर आरओबी एवं तुलसी मार्ग पर अभियांत्रिकी बदलाव : ZE-1 द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाने के पश्चात यह निर्णय हुआ कि इस प्रस्ताव की समीक्षा निदेशक नगर नियोजन, अभियांत्रिकी एवं परियोजना से करवा ली जाये एवं उनकी राय की समीक्षा के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्ताव अगली टीसीबी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : ZE-1

(5) बहुमंजिला इमारतों एव व्यावसायिक परिसरों के बाहर पार्किंग सुविधा के बोर्ड एवं केता पुस्तिका तैयार करने बाबत : इस विषय के बारे में पूर्व में टीसीबी द्वारा निर्णय लिया जाकर निदेशक नगर नियोजन से अपेक्षा की गयी थी कि वे इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेगें, परन्तु इस संबंध में कोई प्रगति नहीं होने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि निदेशक नगर नियोजन को इस बारे में अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये जाये एवं अगली टीसीबी बैठक में इस बारे में प्रगति एवं तथ्यों से टीसीबी को अवगत करवाया जाये।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : निदेशक नगर नियोजन

(6) गौरव टॉवर पर पार्किंग समस्या : गौरव टॉवर के मॉल्स पर अनाधिकृत पार्किंग किये गये वाहनों को जब्त करके रखने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने के बाबत यह निर्णय लिया गया, कि जेडीए उपयुक्त स्थान की तलाश करेगा एवं पुलीस अधीक्षक यातायात भी उपयुक्त स्थल को चिन्हित करने में सहयोग प्रदान करेगें।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : जेडीए एवं यातायात पुलिस

(ग) विविध विषय :

(1) यातायात पुलिस को जेडीए द्वारा आवंटित बजट एव संसाधनों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने बावत : जेडीए द्वारा यातायात पुलिस को बजट एवं संसाधन उपलब्ध करवाये जाते है, जिनके उपयोग एवं खर्च के बारे में विवरण, प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते है, जिसकी वजह से अंकेक्षण आक्षेप लगने की संभावना बनी रहती है एवं इस बारे में जेडीए द्वारा किये गये सहयोग की तथ्यात्मक स्थिति भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि पुलिस अधीक्षक यातायात पिछले 3 वर्षो में जेडीए द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट एवं संसाधनों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध करवाये गये बजट एवं संसाधनों की वजह से यातायात संचालन में सुविधा के संदर्भ में सूचना प्रेषित करेंगे तथा बजट एवं संसाधनों के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने की व्यवस्था भी करेंगे।

संबंधित अधिकारी एवं विभाग : पुलिस अधीक्षक यातायात

(2) स्टेच्यू सर्किल की सडकों पर स्थित खंभों को सडक से पीछे खिसकाने बाबत : पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया कि स्टेच्यू सर्किल की सभी सडकों पर स्थित खंभे सडकों के बडे हो जाने की वजह से सडको के बीच में स्थित हो गये है, जिसकी वजह से यातायात में अवरोध पैदा होता है। अतः इनको सडकों के किनारे पर स्थापित किया जाना चाहिये। इस विषय पर चर्चा के दौरान ये तथ्य उद्घाटित हुआ कि ये मामला हेरिटेज से जुडा हुआ है, अतः पुरातत्व विभाग को इससे अवगत करवाया जाये एवं उनकी राय प्राप्त की जाये। इसी क्रम में ये भी तथ्य उद्घाटित हुआ कि पूर्व में भी उन खंभों को पीछे खिसकाया गया है, अतः यह निर्णय हुआ कि संबंधित विभागों के अधिकारी इस बारे में सूचना एकत्र कर अगली टीसीबी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : जेडीए, यातायात पुलिस, नगर निगम

(3) वर्धमान पथ के आस–पास स्थित शिक्षण संस्थाओं की सडकों का सडक सुरक्षा सर्वेक्षण : मुस्कान संस्थान द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाकर यह अनुरोध किया गया कि उन्हें नगर निगम, यातायात पुलिस एवं टाउन प्लानिंग की ओर से एक–एक अधिकारी सी–स्किम स्थित आधा दर्जन से भी अधिक शिक्षण संस्थाओं के आस–पास के क्षेत्रों का सडक सुरक्षा की दृष्टि से सर्वेक्षण करने के लिए उपलब्ध करवायी जाये। मुस्कान संस्थान के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा ये निर्णय हुआ कि नगर निगम की ओर से श्री संपत व्यास, यातायात पुलिस की तरफ से एक पुलिस उपाधीक्षक एवं जेडीए की तरफ से एक सहायक नगर नियोजक उपलब्ध करवा दिये जाये, जिससे कि मुस्कान अपना प्रस्तावित सडक सुरक्षा सर्वेक्षण कर सके।

संबंधित विभाग एवं अधिकारी : जेडीए, नगर निगम, यातायात पुलिस

मीटिंग का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

28/05/07
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. महापौर नगर निगम जयपुर
2. कलेक्टर जयपुर
3. परिवहन आयुक्त राजस्थान जयपुर
4. निदेशक आरयूआईडीपी जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर
6. श्री शंकर सुरोलिया, सलाहकार ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड जविप्रा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर
8. आयुक्त राजस्व नगर निगम जयपुर
9. पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर
13. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर
14. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर
15. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर
16. निदेशक वित्त जविप्रा
17. निदेशक नगर आयोजना जविप्रा
18. निदेशक परियोजना जविप्रा
19. निदेशक अभियांत्रिकी जविप्रा
20. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा
21. निजी सचिव, सचिव जविप्रा
22. सर्किल अभियन्ता –द्वितीय जविप्रा
23. सिस्टम एनेलिस्ट जविप्रा
24. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा
25. जोनल अभियन्ता –9 जविप्रा
26. श्री प्रमोद भसीन मुस्कान संस्था प्रतिनिधि 45, हथरोई अजमेर रोड जयपुर

28/05/07

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण